<u>अक्सर पूछे जाने वाले सवालः</u>

<u>सामूहिक सेना वीमा निधि (आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड) सेना</u>

प्र. 1 मेरे पति 31 मार्च, 1980 को सेना से सेवानिवृत हुए। 25 अगस्त, 2010 को उनकी मृत्यु हो गई। मुझे विस्तारित बीमा के लाभ हेतु क्या करना चाहिए?

उत्तरः आपके पति 31 मार्च, 1980 को सेना से सेवानिवृत हुए, जबकि विस्तारित बीमा योजना 1 अप्रैल, 1981 को लागू हुई थी। अतः, आप विस्तारित बीमा लाभ के अधिकारी नहीं हैं।

प्र. 2 मेरे पति टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) में कार्यरत थे एवं वह 31 अक्टूबर, 1995 को सेवानिवृत हुए। उनकी मृत्यु 20 सितंबर, 2010 को हुई। क्या मैं विस्तारित बीमा लाभ के योग्य हूं?

उत्तरः नीतियों के अनुसार, प्रादेशिक सेनाकर्मी विस्तारित बीमा योजना के योग्य नहीं हैं क्योंकि सेवा निवृति के समय उनके परिपक्वता लाभ (मैच्योरिटी बेनेफिट) से कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया गया है।

प्र. 3 मैं पूर्व हवलदार वाई हूं। मेरा विस्तारित बीमा 31 मार्च, 2010 को परिपक्व हुआ। क्या मैं बीमित राशि का दावा कर सकता हूं?

उत्तरः आपको जारी किया गया विस्तारित बीमा प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2010 तक ही वैध था। प्रचलित नीतियों के अनुसार, इस योजना के तहत कोई उत्तरजीविता लाभ नहीं है क्योंकि आपके परिपक्वता लाभ से एक बार गैर वापसी योग्य रकम ही वसूल की गई। लाभ एनओके को प्राप्त होता है, यदि बीमित व्यक्ति की वैधता अवधि के दौरान मृत्यु होती है।

प्र. 4 सेवा निवृति के समय मेरे स्वर्गीय पति ने अपनी शादीशुदा बहन को सामान्य व आपात स्थितियों के लिए नामांकित करवाया था। मैं उनकी कानूनी रूप से ब्याहता पत्नी हूं और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हूं। क्या मैं विस्तारित बीमा लाभ का दावा करने योग्य हूं?

उत्तरः हां, आप विस्तारित बीमा लाभ का दावा करने हेतु पूरी तरह से योग्य हैं क्योंकि आप वैध पत्नी एवं वर्ग-1 की उत्तराधिकारी हैं।

प्र. 5 मैंने विस्तारित बीमा योजना को नहीं चुना। तब भी मेरे एजीआईएफ परिपक्वता से विस्तारित बीमा योजना की प्रीमियम क्यों वसूल की गई?

उत्तरः विस्तारित बीमा योजना एक सामूहिक बीमा योजना है और अतः यह सभी के लिए अनिवार्य है। शासकीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली गैर-वापसी योग्य राशि एक बार सेनानिवृति/मुक्ति/पदच्युति के समय भुगतान की जाने वाली परिपक्वता लाभ राशि में से विस्तारित बीमा आवरण (एकस्टेंडेड इंश्योरेंस कवर) हेतु रखी जाती है।

प्र. 6 मुझे जारी किया गया विस्तारित बीमा प्रमाणपत्र, जिसमें उत्तरजीविता लाभ के रूप में कुछ नहीं और एक बार ली जाने वाली प्रीमियम की राशि गैर-वापसी योग्य उल्लिखित है। जबकि दूसरे व्यक्ति को जारी विस्तारित बीमा प्रमाणपत्र के अनुसार, एक बार ली जाने वाली प्रीमियम की रकम वापसी योग्य है। कृपया स्पष्ट करें।

उत्तरः इस योजना शासकीय बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है। अब एक बार ली जाने वाली प्रीमियम राशि वैसे लोगों को वापस (बिना ब्याज के) की जाएगी जो 31 मार्च 2010 सेवानिवृत हुए या इसके बाद सेवानिवृत होंगे।

प्र. 7 मैं डिफेंस सर्विसेज कोर्प्स में तौनात एक पूर्व हवलदार हूं। मैंने अखबार में पढ़ा कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (सेना सामूहिक बीमा निधि) के द्वारा विस्तारित बीमा प्रीमियम की एकमुश्त रकम लौटाई जा रही है। मुझे रकम वापस पाने हेतु आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में कौन से दस्तावेज जमा कराने चाहिए?

उत्तरः अखबार में विज्ञापन चिकित्सा लाभ योजना के तहत की जा रही वापसी के संबंध में है, जिसे 1 अप्रैल, 2013 से ईसीएचएस (एक्सटेंडेट कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) के लागू किए जाने के कारण हटा दिया गया है। अतः आपको रकम वापस पाने हेतु अपना वास्तविक एमबीएस कार्ड अपने बैंक विवरण के साथ आगे भेजने की सलाह दी जाती है। विस्तारित बीमा वापस नहीं की जा रही है क्योंकि इस विषय पर नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

प्र. 8 क्या एक बर्बाद, गुम या खो जाने वाले वास्तविक विस्तारित बीमा प्रमाणपत्र के विरूद्ध प्रमाणपत्र का डुप्लीकेट (नकल) जारी हो सकता है?

उत्तरः हां, यह 10 रुपए के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर जिला न्यायालय में उपरोक्त तथ्यों के साथ शपथ-पत्र देने पर जारी हो सकता है। शपथ-पत्र का प्रारूप आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से प्राप्त किया जा सकता है।

प्र. 9 क्या विस्तारित बीमा की अवधि के प्रभावहीन होने के बाद एक बार दिए गए अभिदान का दावा किया जा सकता है?

उत्तरः इस योजना के तहत, 31 जुलाई, 2010 से विस्तारित बीमा की वैधता अवधि के दौरान सिर्फ बीमित व्यक्ति की मौत की स्थिति में आश्वस्त रकम एनओके को दी जाती है। सेवानिवृति के समय एक बार वसूल की जाने वाली विस्तारित बीमा प्रीमियम की राशि उत्तरजीविता लाभ के रूप में वापसी योग्य है। हालांकि, 31 जुलाई, 2010 से पहले सेवानिवृत होने वालों के लिए कोई उत्तरजीविता लाभ नहीं है।

प्र. 10 मैं कर्नल एक्स, 30 सितंबर 2012 को सेवानिवृत हुआ। मुझे 51,200 रु. की राशि घटाने के बाद 6,29,401 की परिपक्वता राशि प्रदान की गई। यह राशि किस मद में काटी गई?

उत्तरः रु. 51, 200 की रकम आपके परिपक्वता लाभ से विस्तारित सामूहिक सेना बीमा आवरण (एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस कवर) मुहैया कराने हेतु वनटाइम रिफंडेबल सब्सक्रिप्शन के रूप में काटी गई। सेवानिवृति के बाद इस योजना के तहत, आप सेवानिवृति के बाद 26 वर्षों या 75 वर्ष तक की उम्र तक, जो भी पहले हो, 6 लाख रुपए की रकम

के लिए बीमित हैं। यह एक आवधिक बीमा योजना है। यदि, आप बीमा वैधता अवधि से आगे भी जीवित रहते हैं, तो आपको रु. 51, 200 की रकम बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। तदनुसार आपको योजना की विस्तृत जानकारी के साथ विस्तारित बीमा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

प्र. 11 क्या चिकित्सा लाभ योजना (मेडिकल बेनेफिट स्कीम या एमबीएस) का अभिदान किसी मृत पूर्व-सेवाकर्मी के परिवार को वापस किया जा सकत है?

उत्तरः हां, यदि पूर्व सेवाकर्मी चिकित्सा लाभ योजना (एमबीएस) का सदस्य था, तो इसके लिए दिया गया अभिदान पूर्व-सेवाकर्मी के कानूनी उत्तराधिकारी को लौटाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ वे व्यक्ति, जो 1 अप्रैल 2013 से पहले सेवानिवृत हुए, वे चिकित्सा लाभ योजना के सदस्य थे।

प्र. 12 मेरे तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है। मुझे प्रथम नामांकित (नॉमिनी) के रूप में किसे रखना चाहिए?

उत्तरः आपकी पत्नी विवाह विच्छेद का निर्णय होने तक नामांकित या नामजद रहेंगी।

प्र. 13 मैंने सेवा में 13 वर्ष पूरे कर लिए हैं। क्या मैं परिपक्वता रकम (मैच्योरिटी अमाउंट) का 50 प्रतिशत निकला सकता हूं?

उत्तरः नहीं, सिर्फ सेवा में 15 वर्ष पूरे करने वाले व्यक्ति ही परिपक्वता रकम का 50 प्रतिशत निकला सकते हैं।

प्र. 14 मैं, सूबेदार वाई ने एजीआईएफ से होम लोन लिया है।क्या मैं परिपक्वता रकम (मैच्योरिटी अमाउंट) का 50 प्रतिशत निकाल सकता हूं?

उत्तरः हां, यदि कोई एजीआईएफ का कर्जदार है, तब भी अंतिम रूप से परिपक्वता रकम का 50 प्रतिशत अपने आश्रितों की शिक्षा या विवाह हेतु निकला जा सकता है।

प्र. 15 क्या एनईएफटी के जरिए मेरे परिपक्वता लाभ (मैच्योरिटी बेनेफिट) मेरे बैंक खाते में जमा हो सकते हैं?

उत्तरः हां, यदि आप एक रद्द किया हुआ (कैंसल्ड) चेक संयुक्त परिशिष्ट-जी (संशोधित) के साथ भेजते हैं, तो परिपक्वता रकम सीधे आपके संयुक्त खाते में एनईएफटी के द्वारा जमा हो सकती है।

प्र. 16 मैंने एचडीएफसी बैंक लोन लिया है/लिया था और अक्टूबर 2014 में सेना से अलग (स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ) कर दिया जाऊंगा। मुझे अपना मैच्योरिटी दावा पेश करने से पहले क्या करना चाहिए?

उत्तरः आपको एचडीएफसी बैंक से उनके लेटरहेड पर क्लीयरेंस प्रामाणपत्र लेना होगा, जिस पर उनका गोल मोहर लगा हो और जिसमें यह लिखा हो कि आपके विरूद्ध कोई रकम बाकी नहीं है।

प्र. 17 क्या बैंक मैच्योरिटी बेनेफिट (परिपक्वता लाभ) चेक पर कमीशन काटने हेतु अधिकृत हैं?

उत्तरः आरबीआई मुंबई, डीओ पत्र संख्या डीबीओडी, डीआईआर, 1738/सी/702-87, दिनांकः 2 सितंबर, 1987 के अनुसार बैंकों द्वारा मैच्योरिटी रकम के चेक पर बैंक कमीशन नहीं लिया जाना चाहिए।